UPAU010058422024

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, औरैया।

उपस्थितः– मयंक चौहान (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code U.P. 2011)

दीवानी पुनरीक्षण संख्या–23/2024

1–रामश्री पत्नी स्व0 रामप्रकाश निवासिनी मुहल्ला नरायनपुर औरैया परगना व जिला औरैया।
2–श्रीमती शीला पुत्री स्व0 रामप्रकाश पत्नी गौरी शंकर निवासिनी सिकन्दरा, कानपुर देहात।
3–श्रीमती रीमा पुत्री स्व0 रामप्रकाश पत्नी सहवीर सिंह निवासिनी ग्राम मिलख परगना व जिला औरैया।
4–रंजीत कुमार पुत्र स्व0 रामप्रकाश
5–अन्जीत कुमार पुत्र स्व0 रामप्रकाश
निवासीगण मुहल्ला नरायनपुर औरैया परगना व जिला औरैया।

.....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1–दीवान सिंह उर्फ मान सिंह पुत्र स्व0 जग्गीलाल
2–राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र सुदर्शन
3–श्रीमती लक्ष्मी पत्नी राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू
निवासीगण मुहल्ला नरायनपुर परगना व जिला औरैया।

.....उत्तरदातागण।

निर्णय

1– प्रस्तुत दीवानी पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा वाद संख्या 101/2000, रामप्रकश आदि बनाम दीवान सिंह आदि के मामले में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), औरैया के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.11.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 135ग, 100/–रुपये हर्जे पर स्वीकार किया गया है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश के विपरीत प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र 135ग स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के प्रार्थना पत्र 135ग में अंकित प्रतिवादी संख्या 3 का नाम अंकित व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दाखिल अतिरिक्त उक्त पत्र में भी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा दाखिल अंकित किया गया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया जा चुका है। इस आधार पर अतिरिक्त उत्तर पत्र पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जो अतिरिक्त उत्तरप्रत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त अतिरिक्त उत्तर पत्र में अंकित कथन वादीगण द्वारा जो संशोधन प्रार्थना पत्र 127ग के सन्दर्भ में

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.03.17 15:42:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतिरिक्त उत्तर पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पूरे वाद पत्र के आधार पर पुनः अभिकथन के आधार अंकित किये गये है। प्रतिवादी संख 2 व 3 द्वारा जो अतिरिक्त उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया उसकी धारा 4 लगायत 15 का कुल लेख प्रतिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत उत्तर पत्र में कथन अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र 127ग के क्रम में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 23.10.2024 को व अंतिम अवसर दिनांक 28.10. 2024 व दिनांक 29.10.2024 प्रदान किये गये। प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त उत्तर पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और दिनांक 05.11.2024 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र पर स्वयं यह अंकित किया गया है कि अतिरिक्त उत्तर पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना है, उसके पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की जा चुकी है, जिस तथ्य को न्यायालय ने अपने आदेश में शामिल नहीं किया है तथा जो आदेश पारित किया गया है, वह न्याय संगत नहीं है। अतिरिक्त उत्तर पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अंकित है। अतिरिक्त उत्तर पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि वकालतनामा व अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांक 23.11.2024 को प्रस्तुत किया गया है और अतिरिक्त उत्तर पत्र भी दिनांक 23.11.2024 को तस्दीक किया गया है। इस आधार पर भी अतिरिक्त उत्तर पत्र विधिक नहीं है। अतः पुनरीक्षणकर्तागण का पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर सम्बन्धित न्यायालय का आदेश दिनांकित 25.11.2024 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3— उत्तरदातागण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

4— पुनरीक्षण के निस्तारण के लिए आवश्यक सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 135ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हैं, जिसकी पैरवी प्रतिवादी संख्या 2 ही करता है। वादी ने वाद पत्र में संशोधन कराया जो स्वीकार हुआ, जिसके जवाब में प्रार्थीगण को अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल करने का अवसर दिया गया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 के बीमार हो जाने के बाद अपनी पुत्री का बहार जाकर दाखिला कराने के कारण उपस्थित आकर अतिरिक्त बयान तहरीर दाखिल नहीं कर पाया, जबकि अतिरिक्त बयान तहरीर दाखिल करना आवश्यक है। प्रार्थी के वकील नके सहायक वकील जो आज भी न्यायालय में कार्य देखते हैं, से भूलवश अन्य मुकदमे के भ्रम में इस वाद में अतिरिक्त बयान तहरीरी नहीं देना है, आदेश पत्र पर दिनांक 05.11.2024 को लिख गया, जबकि वह यह तथ्य इस वाद में नहीं लिखना चाहते थे, न ही इस तरह की कोई हिदायत थी, क्योंकि अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल करना बहुत जरूरी था, फलस्वरूप जो भूल हो गयी है, उसका प्रभाव प्रार्थीगण पर नहीं पड़ना चाहिए व भूल माफ की जाकर आदेश रिकॉल किया जाकर अतिरिक्त बयान तहरीरी का रिकॉर्ड

पर लिया जाना जरूरी है। अतः अतिरिक्त बयान तहरीरी रिकॉर्ड पर लिये जाने की याचना की गयी।

5— वादी/पुनरीक्षकर्ता संख्या 4 द्वारा प्रार्थना—135ग के विरुद्ध इस आशय आपत्ति 137ग प्रस्तुत की गयी है कि प्रविादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.11.2024 न्याय नियम पत्रावली के विरुद्ध है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 2 में अंकित आदेश 25.11.2024 का रिकॉल का जो कारण अंकित किया गया है। उक्त कारण व न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेशों में हुए विराधाभी है। इसलिए प्रार्थना पत्र विधिक न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 05.11.2024 से पूर्व प्रतिवादी को कई अवसर अतिशीघ्र उत्तर पर दाखिल किये जाने का अवसर प्रदान किया गया है। न्यायालय द्वारा दिये गये समय में प्रतिवादी ने जानबूझकर उत्तर पत्र दाखिल नहीं किया है और प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं यह अंकित किया गया है कि अतिरिक्त उत्तर पत्र दाखिल नहीं करना है। इस आदेश के पश्चात न्यायालय द्वारा वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6— विद्वान सम्बन्धित न्यायालय ने उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त प्रार्थना पत्र 135ग व उसके विरुद्ध आयी आपत्ति 134ग पर सुनवाई करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थना—पत्र 135ग प्रश्नगत आदेश दिनांकित 25.11.2024, अंकन 100/— हर्जे पर स्वीकार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दीवानी पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

7— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से आदेश दिनांकित 05.11.2024 को रिकॉल किये जाने के एवं अतिरिक्त बयान तहरीरी रिकॉड पर लिये के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 135ग स्वीकार किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर वादीगण/पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा यह दीवानी पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि समस्त पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अपनाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली में पुनरीक्षणकर्तागण/वादीगण द्वारा वाद पत्र में संशोधन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने उपरान्त पत्रावली अग्रिम आदेश में नियत है।

अतः वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 25.11.2024 विधि सम्मत एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिपूर्ण तरीके से पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार दीवानी पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दीवानी पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित न्यायालय की मूल पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ सम्बन्धित न्यायालय को वापस भेजी जाये।

पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

दिनांक–17.03.2026

(मयंक चौहान)
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–17.03.2026

(मयंक चौहान)
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।